रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 26, 2011/श्रावण 4, 1933

No. 415] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 26, 2011/SRAVANA 4, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 570(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (2) तथा धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियमावली, 2008 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2011 कहा जाए ।

(2) ये 1 दिसम्बर, 2011 से लागू होंगे ।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियमावली, 2008 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) अनुसूची में पैराग्राफ 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के संघटक-विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के संघटकों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(1) स्वास्थ्य चेतावनी - चेतावनी "धूम्रपान जानलेवा है" (तम्बाकू उत्पाद के धूम्रपान रूपों पर) काली पृष्ठभूमि में सफेद फॉंट रंग में बिल्कुल उसी तरह दर्शाई जाएगी जैसाकि इन नियमों के साथ लगी काम्पैक्ट डिस्क (सी डी) में दी गई सॉफ्ट प्रति में है ।

(2) तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों का चित्रात्मक प्रदर्शन स्वास्थ्य पर तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों को स्वास्थ्य चेतावनी के ऊपर चित्रात्मक रूप में दिखाया जाएगा और उन्हें बिल्कुल उसी रंग में दर्शाया जाना चाहिए जैसाकि इन नियमों के साथ लगी सीडी में दी गई सॉफ्ट प्रति में है।"

(ख) अनुसूची में पैराग्राफ 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाषा—प्रत्येक स्वास्थ्य चेतावनी अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विनिर्दिष्ट की गई हैं । समुचित भाषा संयोजन का चयन सी डी में दिए गए संयोजन से किया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वास्थ्य चेतावनी के लिए चयनित भाषा विनिर्माता द्वारा पैक पर प्रयुक्त की गई भाषा के समनुरूप है । जहां पैक पर एक से अधिक भाषा को प्रयुक्त किया जाता है, वहां स्वास्थ्य चेतावनी प्रत्येक भाषा में अलग-अलग दी जाएगी बशर्ते कि पैक पर दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग न किया जाता हो ।"

[फा. सं. पी-16017/05/2010-पीएच]

केशव देसिराजु, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियमों को दिनांक 15 मार्च, 2008 के सा.का.नि. 182(अ) के तहत प्रकाशित किया था और तत्पश्चात् इनमें दिनांक 29-9-2008 के सा.का.नि. 693(अ) तथा दिनांक 28-11-2008 के सं. का.आ. 2814(अ) तथा 3-5-2009 के सा.का.नि. 305(अ) तथा दिनांक 5-3-2010 के सा.का.नि. 176(अ) तथा दिनांक 17-5-2010 के सा.का.नि. 411(अ) तथा 20 दिसम्बर, 2010 के सा.का.नि. 985(अ) तथा दिनांक 27 मई, 2011 के सा.का.नि. 417(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2011

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7, sub-section (2) of Section 8, Section 10 and Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of December, 2011.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, following shall be substituted, namely :—

(A) in the Schedule, for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"1. Components of specified health warning.—The components for the specified health warning shall include :—

(1) Health Warning .—The warning "Smoking Kills" (on smoking forms of tobacco products) and "Tobacco Kills" (on smokeless or chewing and other forms of tobacco products), shall appear in white font colour on a black background, exactly as in the soft copy provided in the Compact Disk (CD) accompanying these rules.

(2) Pictorial representation of ill effects of tobacco use.—Pictorial depiction of the ill effects of tobacco use on health, shall be placed above the health warning and should appear in the same colour exactly as in the soft copy provided in the CD accompanying these rules."

(B) in the Schedule, for paragraph 4, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"4. Language.—Each health warning has been specified in English and regional languages. Appropriate language combination should be selected from the combination provided in the CD to ensure that the language selected for health warning is in conformity with the language used on the pack by the manufacturer. Where more than one language is used on the pack, the health warning shall be given separately in each of the language. Provided that not more than two languages shall be used on the pack."

[F. No. P-16017/05/2010-PH]

KESHAV DESIRAJU, Addl. Secy.

Note :—The Principal rules were published *vide* No. G.S.R. 182(E), dated 15th March, 2008 and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 693(E), dated 29-9-2008 and *vide* No. S.O. 2814 (E), dated 28-11-2008 and *vide* No. G.S.R. 305(E), dated 3-5-2009 and *vide* No. G.S.R. 176(E), dated 5-3-2010 and *vide* No. G.S.R. 411(E), dated 17-5-2010 and *vide* No. G.S.R. 985(E), dated 20th December, 2010 and *vide* No. G.S.R. 417(E) dated 27th May, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.